(25)

20रु. कोर्ट COURT भारत बीस रुपये
1रु. COURT भारत एक रुपया
Re.1 कोर्ट फी COURT FEE INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

निगरानी - 3349/2018/रायसेन/भू.रा. प्र.कं. ....

उधमसिंह आ0 फूलसिंह जाति लोधी आयु वयस्क,
निवासी व कृषक ग्राम टीलाखुर्द तहसील गैरतगंज
जिला रायसेन म.प्र.

अभिभावक श्री..........
द्वारा आज दिनांक.......... 28/5/18
को पेश।
अभिभाषक

.... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

गुलाब सिंह आ0 अमरसिंह जाति लोधी
निवासी व कृषक ग्राम टीलाखुर्द तहसील गैरतगंज
जिला रायसेन म.प्र.

.... उत्तरदाता

(181)

आयुक्त कार्यालय भोपाल से प्राप्त 28/5/18 को कैम्प में प्रस्तुत।
28/5/18

:: आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 ::

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क. 448/अपील/2012-13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28.03.2018 एवं न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला रायसेन म.प्र. के प्र.क्र. 03/अपील/अपर कले./12-13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25.03.2013 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर उक्त निगरानी अन्दर म्याद न्याय दान हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3349/2018/रायसेन/भू.रा. [उम्मेदसिंह / गुलाब सिंह]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.06.2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपर आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 28.03.2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक जो कि पूर्व पटेल था, वह अपात्र क्यों था और नवीन पटेल की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों हुई। तहसीलदार द्वारा विधिवत् उद्घोषणा के प्रकाशन उपरांत आपराधिक अभिलेखों की जानकारी प्राप्त किये वगैर आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुसार नहीं होने से अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण गुण-दोषों के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष को तहसील न्यायालय में साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर उपलब्ध होगा। उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	